28/10/15	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जा चुका है। निगरानी नोटिस [illegible] खारिज [illegible] प्रार्थना पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] अनुसार दाखिल नियम के तहत दाखिल [illegible] उपरान्त हेतु [illegible] किया गया।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–8/18

तारीख रजु:–24.4.18

उनवान

1. सुरेश आयु 59 साल ⎫
2. महेश आयु 53 साल ⎬ पुत्रान रामस्वरूप
3. दिनेश आयु 47 साल ⎭
4. आशा पुत्री रामस्वरूप आयु 44 साल
5. असरफी बेवा रामस्वरूप
6. रामबाबू पुत्र मन्नु आयु 58 साल
7. कमला पुत्री मन्नु आयु 50 साल
8. लक्ष्मीचंद पुत्र बल्ला आयु 45 साल
9. योगेश आयु 32 साल पुत्र भागीरथ
10. जितेन्द्र आयु 25 साल पुत्र भागीरथ
11. अन्जू उर्फ रजनी पुत्री भागीरथ आयु 28 साल
12. गायत्री देवी बेवा भागीरथ आयु 78 साल

सभी जाति ब्राहम्ण निवासीयान खार रोड करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्री श्यामा आयु 65 साल जाति ब्राहम्ण निवासी खार रोड करौली तहसील व जिला करौली
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 28/10/18

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:47:51 IS
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 7672 रकवा 1 वीघा 7 विस्वा खसरा नं. 7673 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा खसरा नं. [illegible] रकवा 2 वीघा 3 विस्वा खसरा नं. 7676 रकवा 10 [illegible] 14 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 8 वीघा 2 [illegible] पटवार हलका नं.10 तहसील व जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी में वादी नं.1 ता 4 व 8 ता 10 के पितामहगण व वादी नं. 6 ता 7 के पिता [illegible] एवं वादी नं.5 व 12 के ससुर मन्नू व बल्ला पुत्रान गोपी व प्रति.नं. 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण नं. 1 ता 5 का 1/12 वादी नं.6 का 1/12 वादी नं.7 का 1/12 एवं वादी नं. 8 दका 1/8 वादी नं. 9 ता 12 का 1/8 हिस्सा है। एवं प्रतिवादी नं.1 का 1/3 हिस्सा

2/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं.1 उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। वादीगण के पित ामह मन्नू व बल्ला पुत्रान गोपी व वादी नं. 1 ता 5 के पिता व पति रामस्वरूप व वादी नं.9 ता 12 के पिता व पति रामस्वरूप व वादी नं.9 ता 12 के पिता व पति भागीरथ का स्वर्गवास हो चुका हैं। वादीगण मुतकगण के बैध वारिसान है। सबूतन नकल जमाबंदी सं. 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। सजरा वादीगण व प्रति.नं. 1 मद नंबर 2 में संलग्न है। विवादित आराजीयात वादीगण के पितामह व पितागण व ससुर मन्नू, बल्ला, गोपी व पितागण रामस्वरूप, भागीरथ व वादी के 2/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का हैं। वादीगण मृतक मन्नू बल्ला पुत्रान गोपी व मुतक रामस्वरूप व भागीरथ के वैध वारिसान है और मृतकगण के जीवनकाल से बतोर वारिस आराजीयात पर काबिज काश्त संयुक्त रूप से बतौर खातेदार वादीगण मृतक मन्नू व बल्ला के स्थान पर अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 20/2/18 को प्रतिवादी नं.1 से वादीगण के 2/3 हिस्सा भूमि का बटवारा राजस्व रिकार्ड में करा कर वादीगण के हक में अलग से खातेदारी इन्द्राज व लगान सेपरेट कराने को कहा तो प्रतिवादी नं. 1 साफ इंकार हो गया और विवादित भूमि को बिना बटवारा किये दीगर व्यक्तिमयों को विक्रय करने व भूमि में निर्माण करने की ऐलानिया कहा व धमकी दी है। इसलिये वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया हैं। प्रतिवादी नं.1 ताकतवर पैसे वाला चालाक किस्म का व्यक्ति है। और भूमाफिया से मिलाहुआ है और विवादित भूमि को बिना बटवारा कराये दीगर व्यक्तियो को रहन वय करने एवं भूमि को बिना बटवारा कराये दीगर व्यक्तियो को रहन वय करने एवं भूमि में अैध निर्माण करने कराने पर तुला हुआ है और दिनांक 21/2/18 से लोगो से विक्रय की बातचीत प्रारम्भ कर दी है। और लोगों को भूमि को विक्रय के लिये दिखाने लग गया है। प्रतिवादी नं.1 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है। यदि प्रतिवादी नं.1 ने अपने 1/3 हिस्सा भूमि को बिना वादीगण के 2/3 हिस्सा का बटवारा किये बिना दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर दिया तो अजनवी केतागण से वादीगण का संयुक्त काश्त करना उचित फसल लाभ प्राप्त करना सम्भव नही रहेगा व संयुक्त काश्त में व्यवधान पैदा होगा जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। बिनाय मुखासम दावा दिनांक 20/2/1[illegible] वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं.1 से वादीगण के 2/3 हिस्सा भूमि का [illegible] रिकार्ड में बटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादी नं.1 द्वारा साफ इंकार [illegible] पर एवं भूमि को बिना बटवारा किये दीगर व्यक्तियो को विक्रय करने एवं निर्माण करने की ऐलानिया कहने व धमकी देने पर एवं दिनां[illegible] 21/2/2018 से लोगो से ठीक विक्रय की बातचीत प्रारम्भ करने व भूमि को विक्रय के लिये लोगो को दिखाने पर वादीगण के विक्रय नही करने की कहने पर नही मानने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। अतः दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:47:51 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अदंर म्याद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 1 द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि खं0 नं0 7672 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खं0 नं0 7673 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खं0 नं0 7675 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खं0 नं0 7676 रकबा 10 बिस्वा, खं0 नं0 7613 रकबा 14 बिस्वा, पूर्वजों की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि नही है यह समस्त मंदिर ठाकुरजी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान चटीकना करौली की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के व्यक्तिगत अधिकार कोई भी किसी प्रकार के नहीं है प्रतिवादी नं0 1 ठाकुरजी लक्ष्मण जी के व्यवस्थापक व पुजारी ठाकुरजी की सेवा पूजा व देखभाल व राजभोग की व्यवस्था प्रतिवादी द्वारा की जाती है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में एन्ट्री राजस्व कर्मीयों की भूल से गलत कर दी गई है। प्रतिवादी की ओर से खतौनी (जमाबंदी) सेटिल्मेंनट विभाग राज0 सरकार सं0 2015 प्रस्तुत की जा रही है जो एनक्सर 1 है। जिसमें उक्त भूमि ठाकुर जी खातेदारी की होना अंकित है एव जमाबंदी सं0 2010–2013 की जमाबंदी में भी उक्त भूमि ठाकुर जी खातेदारी की होना अंकित है एवं जमाबंदी सं0 2010–2013 की जमाबंदी में भी उक्त भूमि ठाकुर जी खातेदारी में दर्ज है जो एनेक्सर 2 है एवं मुझ प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 12.12.2010 को श्रीमान तहसीलदार साहब करौली के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिसमें खातेदारान का नाम हटाकर जमाबंदी में ठाकुरजी लक्ष्मण जी का नाम अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया एवं इस प्रकरण में दर्ज भूमि के बावत न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर साहब करौली के द्वारा दिनांक 14.10.2011 को रेफ्रेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल0आर0 एक्ट दर्ज कर नोटिस जारी किये गये और उसका निर्णय दिनांक 23.01.2012 को किया गया उस निर्णय के अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा इस भूमि को ठाकुरजी की मानते हुये एवं जो पक्षकार इसमें मर गये उनके विधिक वारिसों को पक्षकार बनाते हुए पुनः रेफ्रेन्स पेश करने हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली को निर्देश दिया एवं श्रीमान तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 02.08.2018 को समस्त वादग्रस्त आराजीयात को रेफ्रेन्स प्रस्तुत कर ठाकुरजी लक्ष्मण [illegible] चटीकना करौली के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया [illegible] नोटिस जारी होकर कार्यवाही लंम्बित है। एव प्रतिवादी नं0 [illegible] 23.02.20[illegible] को श्रीमान तहसीलदार करौली के यांह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] लक्ष्मण जी के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की उपरोक्त स[illegible] दस्तावेजात से उक्त भूमि ठाकुर जी लक्ष्मण जी के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की उपरोक्त समस्त दस्तावेजात से उक्त भूमि ठाकुर जी लक्ष्मण विराजमान चटीकना करौली की होना साबित है प्रतिवादी नं.1 ओमप्रकाश शर्मा को देवस्थान विभाग करौली द्वारा ठाकुरजी लक्ष्मण जी का पुजारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:47:51 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नियुक्त किया इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 ठाकुरजी की सम्पत्ति में बेनीफीशियर है और ठाकुरजी की ओर से विवादित सम्पत्ति के देखभाल करने के लिये अधिकृत व्यक्ति हैं। एवं वादीगण को उक्त बादग्रस्त सम्पत्ति में कोई हक किसी प्रकार के नहीं है एवं ठाकुरजी लक्ष्मण जी को इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। एवं वादीगण ने ठाकुरजी की सम्पत्ति को हडपने के उद्वेश्य से यह दावा प्रस्तुत किया गया जबकि वादीगण को भलीप्रकार जानकारी है कि उक्त विवादित आराजीयात मंदिर की सम्पत्ति है इस बावत वादीगण का नामान्तकरण सं0 3030 इसी आधार पर खारिज किया गया था कि उक्त भूमि मंदिर से सम्बधित है एवं वादी महेश के द्वारा दिनांक 23.12.2010 को इस नामान्तकरण की नकल ले ली। इस तथ्य की जानकारी वादी महेश को थी। जिसने इस जानकारी को छिपाया एवं जिला कलेक्टर के यहां प्रस्तुत रेफ्रेन्स के नोटिस जारी हो चुके हैं जो इनको दावा दायरी से पूर्व इनको मिल चुके हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादीगण को उपरोक्त आराजीयात ठाकुरजी लक्ष्मण जी की होने की जानकारी भली प्रकार थी इसके बावजूद भी ठाकुरजी के अधिकारों के विरूद्व ठाकुरजी को पक्षकार नहीं बनाते हुए ठाकुरजी के नाम को छुपाते हुये इस भूमि को हडपने की बदनीयती से यह झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य हैं। एवं मैं प्रतिवादी नं0 1 जरिये काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर उक्त भूमि मंदिर ठाकुर लक्ष्मण की खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना करता हूं उक्त भूमि मंदिर ठाकुर जी लक्ष्मण जी के नाम दर्ज की जावे। एवं हमारे व्यक्तिगत नाम हटाये जाकर मंदिर के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं इस दावे में उक्त दावे में विवादित आराजीयात ठाकुर जी लक्ष्मण जी भूमि है और ठाकुरजी के कोई विधिक वारिस नहीं होते हैं। इस कारण इसमें प्रस्तुत सजरे का कोई विधिक महत्व नहीं होने के कारण सजरा दावे से हटाये जाने योग्य हैं। वादीगण के पितामह व पितागण व ससुर इत्यादि के इस विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है गलत एन्ट्री के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। एवं उक्त एन्ट्री वादीगण के पूर्वजों ने राजस्व कर्मचारियों से धोखा देकर साजपूर्वक उक्त गलत एन्ट्री करवाई है जो ठाकुरजी के अधिकारों के विरूद्व बेअसर एवं शून्य प्रभावी है एवं ठाकुरजी के भूमि में घोषणा प्राप्त करने का वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं मुझ प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे काउण्टर क्लेम के आधार पर उक्त भूमि मंदिर ठाकुरजी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा प्राप्त [illegible] जाने का अधिकारी है। आराजी खं0 नं0 7672, [illegible] कुल रकवा 8 बीघा 2 विस्वा भूमि पहले नलों के सक्त[illegible] समतल थी जिसे मुझ पुजारी द्वारा बीसीयों लाख रूप्ये की लागत लगाकर इसे समतल कराया गया ओर उसे काश्त योग्य बनाया एवं इसमें पचा[illegible] साल पहले मेरे पिता ने चार गेह दो पलडा पाटोर डलवा रखी है एवं उक्त पाटोर के पीछे पशुओं के लिये टीन सेड लगा हुआ है। जिसमें हम व हमारे लेबर, मजदूर, रहते हैं इसमें हमारी फसल रखी रहती है एवं कृषि का सामान रखा रहता है जिसमें रहकर हम मंदिर की भूमि की देखभाल व काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:47:51 IS
Reason: SelfAttested

उप[illegible] अधिकारी
करौली (राज0)

हैं एवं इस भूमि के मुख्य द्वार पर मैंने एक लोहे का गेट लगवा रखा है एवं लोहे के गेट के आस पास मेरे द्वारा पक्की पत्थर की बाउण्डी करा रखी है जो करीबन जमीन तल से 8 फुट उंची है एवं कृषि भूमि की सिंचाई के लिये मैंने एक पारी का बोर भी लगाा रखा है। जिस पर बिजली कनेक्शन भी मेरे नाम हैं। जिससे मंदिर की भूमि की सिंचाई करता हूं प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से किसी प्रकार सरोकार नही हैं ना ही कभी कोई सरोकार रहा अब इन लोगों के मन में बदयान्ति आ गई है एवं जबरदस्ती पुलिस से साज कर भूमि पर कब्जा करना चाहते है एवं लगातार हाथों में लाठी डंडा लेकर के वादीगण व इनकी महिलाऐं मंदिर की भूमि पर अतिचार करने पर आमदा हैं। और रोजाना आ रहे हैं एवं इन्होंने मुझ प्रार्थी के पुत्रों को मारने पीटने एवं जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दी है ये लोग मैंन पॉवर वाले हैं एवं लगातार धमकी दे रहे हैं कि मंदिर की ओर से वर्तमान में मुझ पुजारी द्वारा बोई गई गेहूं सरसों की फसल को काट कर ले जाना एवं झगडा फसाद करने की धमकी दी है। एवं मुझ प्रार्थी के पुत्र ने इन घटनाओं की सूचना पुलिस थाना कोतवाली करौली एवं एस0पी0 साहब करौली एवं आई. जी0 साहब भरतपुर को लिखित तौर पर शिकायत भी दे दी परन्तु जमाबंदी में इनके जमाबंदी में इनके पूर्वजों के नाम की वॉयड एवं रोंगफुल एन्ट्री के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं एवं जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा हैं अगर ठाकुरजी की भूमि पर कब्जा करने में सफल हो गये हैं एवं जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा हैं अगर ठाकुरजी की भूमि पर कब्जा करने में सफल हो गये तो प्रार्थी व ठाकुरजी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नगद सम्भव नहीं है एवं ठाकुरजी के अधिकारों की भी भारी अपूर्णीय क्षति होगी। एवं ठाकुरजी की ओर से ठाकुरजी के पूजारी की हैसियत से हम सैकडों साल से उपरोक्त भूमि पर पूजारी की हैसियत से काबिज काश्त हैं एवं मंदिर की भूमि की देखभाल व सुरक्षा करते हैं एवं सम्पत्ति की सुरक्षा रक्षा हेतु एवं मंदिर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि मंदिर की भूमि पर जबरदस्ती लटठ के बल पर कब्जा नहीं करावें ना ही किसी अन्य से करावें मेरे द्वारा वर्तमान में की जा रही गेहूं एवं सरसों काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत मजामत नहीं करें एवं मंदिर की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं मंदिर की भूमि को जबरदस्ती नष्ट नहीं करें। ना जबरदस्ती प्रवेश करें। ना किसी अन्य से करावें। व उप... वाद ग्रस्त भूमि ठाकुरजी लक्ष्मण जी की खातेदारी ... में दुरूस्ती की जावे। दिनांक 20.02.2018 वादीगण के द्वारा मुझ प्रार्थी... उक्त भूमि में बंटवारे के लिये कोई बात चीत नहीं की और ना ही मेरे द्वारा उक्त भूमि को विकय करने व भूमि में निर्माण करने की कोई धमकी भी नहीं दी झूठा दाव प्रस्तुंत करने के लिये समस्त तथ्य काल्पिनिक दर्ज किए गये है। एवं वादीगण गलत एन्ट्री के आधार पर ठाकुरजी की बादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं एवं ठाकुरजी की उक्त भूमि को नष्ट करने पर आमादा हैं वादीगण क्लीन हैण्ड नही आये है ऐसी स्थिति में ठाकुरजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:47:51
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हितों की रक्षार्थ ठाकुरजी के हक में जवाब के साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित भूमि में वादीगण को बटवारा करवाने का कोई अधिकार नहीं है एवं मैं प्रतिवादी नं0 1 इस भूमि को रहनवय नहीं करना चहाता हूं ना ही निर्माण करवाना चाहता हूं एवं दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा विकय करने की कोई बातचीत नहीं की गई समस्त तथ्य झूठे दर्ज किये गये एवं उपरोक्त आराजीयात में वादीगण की कोई संयुक्त रूप से काश्त नहीं है व इस भूमि पर वादीगण का किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है ठाकुरजी का ही कब्जा है एवं इनको कोई भी अपूर्णीय क्षति भी नहीं ना ही भारी असुविधा है। और कोई भी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। वादीगण ने पैरा नं0 4 व 5 के तथ्यों की पुनरावृति की है। जो गलत है 20.02.2018 को कोई बंटवारा की कोई बातचीत की ना 21.02.2018 को विकय करने की धमकी दी समस्त तथ्य गलत है एवं 21.02.2018 को वादीगण को कोई बादकारण उत्पन्न नहीं हुआ एवं दावे के पैरा नं0. 6 में वादी ने वादकारण दिनांक 20.02.2018 एवं 21.02.2018 दो अलग अलग तारीखों में वादकारण उत्पन्न होना बताया है जबकि विधि के अनुसार एक दावे के अन्दर दो अलग अलग तिथीयों के दो अलग अलग बादकारणों को एक साथ तय नहीं किया जा सकता। इस आधार पर भी दावा खारिज किये जाने योग्य है कि इस दावे में समस्त वादग्रस्त आराजीयात खं0नं0 7672, 7673, 7675, 7676, 7813 कुल रकवा 8 विस्वा स्थित कस्वा करौली ठाकुर जी लक्ष्मण जी महाराज की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है इसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के कोई अधिकार व्यक्तिगत किसी प्रकार के नहीं हैं व ठाकुरजी के भूमि में वादीगण को कोई घोषणा व बटवारा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। एवं इस दावे में ठाकुर लक्ष्मण जी विराजमान चटीकना करौली को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार इस में नॉन जोईन्डर ऑफ द पार्टीज का नुख्श है इस आधार पर दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को विवादित आराजीयात ठाकुर जी की होना दावा दायरी से पूर्व से ही जानकारी में है एव वादीगण जानबूझ करके इस तथ्य को छिपाकर आये हैं क्लीन हैण्ड नहीं आये हैं एवं ठाकुरजी की सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बनाने की गरज से यह झूठा दावा लाये हैं ठाकुर जी के हितों के विरूद्व कार्य कर रहे हैं न्यायालय के हितों के विरूद्व कार्य कर हरे हैं न्यायालय से कोई अनुतोष व डिसक्रिऐशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं उक्त भूमि ठाकुरजी लक्ष्मण जी की खातेदारी की है व राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो जाने के कारण वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है राजस्व रिकार्ड से वादीगण व प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राज हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड से इनके इन्द्राज हटाये जाकर मंदिर ठाकुरजी लक्ष्मण जी के नाम इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी हूं व गलत इन्द्राज के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक व कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। एवं उपरोक्त वादीगण व प्रतिवादी के हक में जमाबंदी में जो एन्ट्री है वह शून्य प्रभावी है। और उसे शून्य प्रभावी घोषित कराकर जमाबदी में ठाकुरजी के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:47:5
Reason: SelfAttested

नाम अंकन दर्ज किया जावे। व वर्तमान रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। वादीगण के द्वारा दावे के अन्दर ठाकुरजी की सम्पत्ति को हडपने व निजी बनाने के उद्वेश्य से झूठा बादकारण दर्ज किया गया व उक्त सम्पत्ति ठाकुरजी की होने के तथ्य को छुपाते हुये मैलाफाइड इंटेशन के साथ गलत तथ्यों पर यह दावा लेकर आये है जो खारिज होने योग्य है। जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि – (1) दावा वादी खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा समस्त आराजीयात दर्ज दावा मद नं0 1 खं0 नं0 7672 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा खं0 नं0 7673 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, खं0 नं0 76756 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा, खं0 नं0 7676 रकवा 10 विस्वा, खं. 0 नं0 7813 रकवा 14 विस्वा, ठाकुरजी लक्ष्मण जी के नाम खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज ठाकुरजी लक्ष्मण जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य अनुतोष जो न्याय को अनुकूल हो वह भी प्रतिवादी को दिलाया जावे। अंत मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 7672 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा, खसरा नं0 7673 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, खसरा नंबर 7675 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा व खसरा नं0 7676 रकवा 10 बिस्वा, खसरा नं0 7813 रकवा 14 विस्वा कुल क्षेत्रफल 8 बीघा 9 विस्वा कस्बा करौली में स्थित है। इसके अलावा मद नं0 1 में दर्ज समस्त तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 की खातेदारी की होना गलत दर्ज किया है व इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के कोई निजी अधिकार नहीं है और इनके पूर्वजों के भी कोई अधिकार नहीं है। यह भूमि वादीगण के पूर्वजों की कभी नहीं रही। वादीगण के पिता के हक में जो जमाबंदी है वह सहवन से गलत बन गई है। यह भूमि सेटलमेंट के बाद भी संवत 2032 में छलपूर्वक इनके पूर्वजों ने मंदिर की खातेदारी की भूमि अपने नाम करा ली जिसके बावत मेरे द्वारा धारा 82, राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेफ्रेन्स बनाकर के उक्त भूमि को ठाकुरजी श्रीलक्ष्मणजी महाराज की खुदकाश्त मुताबिक रिकॉर्ड मानते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर करौली के न्यायालय में रेफ्रेन्स दिनांक 24.07.18 को प्रस्तुत कर दिया है जिसके साथ रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां भी लगाई है जो लंबित हैं। इस प्रकार यह भूमि मंदिर ठाकुरज जी लक्ष्मण की खातेदारी की है वादीगण के इस भूमि को कोई अधिकार नहीं है एवं वादीगणों के पूर्वजों के भी इस भूमि में कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगण ने अपने परिवार का सजरा पेश किया है जो इस दावे में विवाद बिन्दू से कोई संबंध नहीं है। ठाकुर जी के कोई वारिस नहीं होते हैं एवं ठाकुरजी की भूमि से इनके पूर्वजों के सजरे का कोई औचित्य नहीं हैं। यह सजरा केवल न्यायालय को मिस गाइड करने के दुर्भावनापूर्वक उददेश्य से पेश किया है। विवादित आराजीयात वादीगण के परिवार की नहीं हैं। ठाकुरजी की है, ऐसी स्थिति में एक रॉग एन्ट्री के आधार पर वादीगण कोई खातेदारी अधिकार घोषित करने के अधिकारी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:47:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हैं। उपरोक्त भूमि माफी मंदिर की होने के कारण बंटवारा योग्य नहीं है। इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं01 को बंटवारा करने का काई अधिकार नहीं ह "ना ही विक्रय करने का कोई अधिकार है। दावे में विवादित आराजीयात खसरा नं0 7672, 7673, 7675, 7676, 7813 कुल किता 5 कुल रकवा 8 बीघा 2 विस्वा स्थित पटवार हल्का 10 करौली माफी मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मण जी महाराज की खातेदारी की खुद काश्त भूमि है एवं इस भूमि में वादीगण व इनके पूर्वजों के कोई अधिकार नहीं है। नामान्तकरण सं0 3030 दिनांक 21.12.2010 को निरस्तकर दिया गया और वादीगण की विरासत नहीं खेली गई क्योंकि वादीगण ठाकुरजी के वारिस नहीं है एवं उक्त भूमि को ठाकुरजी की खातेदारी में दर्ज करने के लिए व रिकार्ड से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पिताओं के नाम हटाये जाकर ठाकुरजी के नाम दर्ज करने बावत कार्यवाही लंबित है एवं श्रीमानजी को भी ठाकुरजी महाराज श्री लक्ष्मण जी के नाम खातेदारी घोषित करते हुए ठाकुर जी के हक में इन्द्राज दुरूस्त करने के अधिकार है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण के पिताओं के नाम हटाये जाकर समस्त भूमि मंदिर श्री ठा0 लक्ष्मण जी महाराज के हक में खातेदारी की दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। अंत में दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे एवं समस्त विवादित आराजीयात को मंदिर ठाकुरजी लक्ष्मण जी महारजा के हक में खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

जवाब काउण्टर क्लेम प्रतिवादी का जवाब वादीगण की ओर से पेश कर कथन किया है कि काउण्टर क्लेम का मद नं0 1 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण एकमात्र ठाकुरजी लक्ष्मणजी का पुजारी ना होकर पक्षकारान के पूर्वज व पिता पुजारी रहे है और वर्तमान में पक्षकारान पुजारी है। पक्षकारान मुकदमा एक ही पूर्वज गोपी की संतान है जो दावे के मद नं0 2 में वर्णित सजरे से प्रमाणित है मननु उर्फ गन्नू, रामस्वरूप, वल्ला, भागीरथ, रामबाबू, सुरेश नौकरी में रहने के कारण समय ना मिलने की वजह से अपने अपने ओसरे की सेवापूजा उन्होंने श्यामू व पिता ओमप्रकाश को सम्भलवादी भी और वह हमारी ओर से इजाजतन सेवापूजा हमारे औसरे की करते रहे हैं श्यामा के करने के बाद ओमप्रकाश सेवापूजा हमारे औसरे की करते रहे है श्यामा के करने के बाद ओमप्रकाश सेवापूजा कर रहा है ओमप्रकाश के मन में वदयान्ति उत्पन्न हो गई है और उसने ठा.लक्ष्मणजी के मंदिर के [illegible] हिस्से वगैर इजाजत पक्षकारान दो मंजिल मकान निर्माण करा लिया है [illegible] नगरपरिषद करौली में मंदिर के हाउस टैक्स रजिस्टर में [illegible] वादीगण से छिपाते हुए करा लिये है मकान की प्रतिष्ठि हाउस टैक्स रजिस्टर में स्वयं के नाम तथा मंदिर की पृथक पृथक दो प्रविष्ठी कराई है और वह ठाकुरजी के हितों के विपरित कार्य कर जमीन जायदाद को स्वयं के नाम कराने लग पडा है जिससे ठाकुरजी की जायदाद को विक्रय करके नाजायज लाभ प्राप्त कर सके इस दुर्भावना से उक्त कार्य किया है मंदिर भूमि को भी भू–माफियाओं से सौदा करके विक्रय कर चुका है और मंदिर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:47:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

ओर से दायर किये गये दावा ठाकुरजी लक्ष्मणजी बनाम रामप्रसाद को हमसे छिपाते हुऐ खारिज करा लिया है जिसके विरूद्व हमने जिला कलेक्टर करौली के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर मंदिर भूमि के रहन वय पर रोक लगवाई है और तहसीलदार करौली को आदेशित कराया है कि मंदिर भूमि का वयनामा पंजीयन ना किया जावे। जो कार्यवाही आज भी लम्बित है। प्रतिवादी ओमप्रकाश का इनट्रेस्ट ठाकुरजी के विपरीत होने के कारण उसे पुजारी बने रहने का भी कोई विधिक अधिकार नहीं है हमारे ओसरे की सेवापूजा मंदिर की वापिस प्राप्त करने वादीगण द्वारा दावा उनवानी रामबाबू बनाम ओमप्रकाश घोषणा व निषेधाज्ञा वावत न्यायालय सिविल न्यायाधीश करौली में पेश किया जा चुका है जो लम्बित है। विवादित भूमि सम्वत 2064 लगायत 67 सम्वत 2072 लगायत 75 व इससे पूर्व श्यामा पिता प्रतिवादी ओमप्रकाश गन्नू उर्फ मन्नू, वल्ला पिसरान गोपी वादीगण के पिता के नाम रही है इस कारण यह दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया है तथा स्वयं प्रतिवादी का आचरण ऐसा रहा है जिसने एकदावा ओमप्रकाश वगै, बनाम दयालसिंह वगै0, न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का लक्ष्मी रामस्वरूप, रामबाबू से यह कह कर संस्थित कराया कि अपनी खाते की भूमि पर उक्त व्यक्ति काश्त में व्यवधानं पैदा कर रहे है उसके कहे अनुसार उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये है यह दावा श्री अब्दुल हलीम एड. द्वारा पेश कराया प्रमाण में वाद पत्र की प्रति व वकालतनामा सत्यप्रति संलग्न हे जिसमें ओमप्रकाश ने विवादित भूमि को ठा. लक्ष्मण जी की होना नहीं बताया है इसी प्रकार एक दावा ओमप्रकाश प्रतिवादी ने ओमप्रकाश बनाम छगन सालोत्री वगै. ओ.एस. नं. 91/12 विवादित भूमि वावत संस्थित कर अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए एवं वादीगण का 2/3 हिस्सा के तथ्य को छिपाते हुए पेश किया जिसमें भी ठाकुरजी लक्ष्मणजी की भूमि होने का कोई जिक नहीं किया गया। जिसकी वाद पत्र की प्रमाणित प्रति व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है ओर इस वाद में उक्त तथ्यों के विपरित अभिवचन मंदिर की होने वावत दर्ज कराये है जो एक दूसरे के विराधाभाषी असत्य कथन दर्ज कराये है इस प्रकार वह झूठ बोलने का आदि रहा है काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। इन दी अल्टरनेटिव यदि भूमि मंदिर ठाकुरजी श्री लक्ष्मण जी महाराज की न्यायालय साबित माने तो विवादित भूमि का खता ठाकुरजी के नाम किये जाने में वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है खाता ठाकुर लक्ष्मणजी के नाम करते हुऐ प्रतिवादी को मंदिर का पुजारी हटाया जाकर वहैसियत पुजारी वादीग[illegible] नाम किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रतिवा[illegible] है कि पक्षकारान एक ही पूर्वज की संतान है खार मोहल्ले में एक ही पुश्तैनी मकान में रिहायश रही है उसके पिता के हिस्से का पुश्तैनी मकान स[illegible] ओमप्रकाश ने वजरिये इकरारनामा दिनांक 10.10.07 को वादी सुरेश को विकय किया है इससे पूर्व उसका परिवार इसी मकान में निवास करता रहा है यह विह पैदा हुआ है। प्रमाण में इकरारनामा व वोटरलिस्ट की प्रति पेश है जिसमें सभी पपक्षकारान के नाम एकही पुश्तैनी मकान में दर्ज 2007 के वाद मंदिर में ओमप्रकाश हमारी इजाजत से रहने लगा है रेफ्रेरेन्स वावत झूठी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:47:51
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कार्यवाही ओमप्रकाश ने कराई है जो लम्बित है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जिसके आधार पर मंदिर के पुजारी वादीगण होना सही है। काउन्टर क्लेम का मद नं0 3 गलत है स्वीकार नहीं है प्रतिवादी बहुत ही चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है राजस्व रिकार्ड में प्रतिष्ठी स्वयं उसी ने कराई है वादीगण ने कभी कोई आवेदन स्वयं के नाम भूमि किये जाने का कभी भी नहीं किया ह"ना आवेदन पत्र पेश कर स्वयं के नाम खाता कराया है यदि कानूनन भूमि मंदिर की न्यायालय साबित माने तो वादीगण सहर्ष भूमि का खाता मंदिर के नाम दर्ज कराने को तैयार है जिसमें उन्हें कोई आपत्ति हनीं है मंदिर के साथ वअहतमाम पुजारी प्रबंधक की हैसियत से वादीगण का नाम दर्ज फरमाये। जाने के आदेश प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायोचित हे जिससे मंदिर का राजभोग खर्चा मंदिर भूमि की आय से भविष्य में चलता रहे। काउन्टर क्लेम का मद नं0 4 कतई गलत है स्वीकार नहीं है इस मद में दर्ज कथन कि प्रतिवादी ने भूमि समतल कराई है टीन, पाटोर डलवाने, पानी का बोर खुदवाने, बाउन्ड्री कराने का कथन सर्वथा असत्य है पक्षकारान ने संयुक्त रू‍प से उक्त कार्यो पर खर्च करके उक्त कार्य कराये गये है जिनमें वादीगण व उनके पिता ने वरावरी रकम लगाई है हमारे द्वारा कभी भी जबरन काश्त नहीं किया गया ह"ना फसल काटी है बल्कि जोतने व बुवाई बीज खाद में वरावर वरावर का हिस्सा खर्चा करके काश्त मजदूरों स `एवं वटाई पर कराते है जिसमें पक्षकारान वरावरर वरावर खर्चा करते है और अपने हिससे अनुसार वादीगण सदैव से फसल प्राप्त करते चले आ रहे है वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर अपने पूर्वजतों के समय व पिता के जीवनकाल से लगातार साधिकार चला आ रहा है औश्र काबिज है फसल का लाभ, प्राप्त कर रहे है। कभी भी डण्डे के वल पर उन्होंने कब्जा हनीं किया ह"ना ताकत के बल पर फसल प्राप्त की है जमाबंदी में वादीगण াके इन्द्राज सही एवं दुरूस्त है सहकाश्तकार के विरूद्व सहकाश्तकार किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। काउन्टर क्लेम का मद नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है खुर्द वुर्द वादी इकरारनामा पर भू–माफियाओं को कर चुका है लेकिन लोग हमसे कब्जा प्राप्त नहीं कर सके है हम वादीगण ने भू–माफियाओं को कब्जा देने से इन्कार कर दिया हैं ठाकुरजी की रक्षार्थ काउन्टर क्लेम करता तो भूमि को विकय प्रतिवादी नहीं करता और ठा0 लक्ष्मणजी बनाम रामप्रसाद दावा खारिज नहीं कराता है उसकी हित ठाकुरजी के विपरित होने के कारण उसे मंदिर का पुजारी वने रहने का भी कोई विधिक अधिकार शेष नहीं रह जाता है। काउन्टर क्लेम एडवर्स इन्द्राज होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। काउन्टर क्लेम का मद नं0 6 कतई गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से मुश्तर्को काश्तकार फसल का लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है और मौके पर वादीगण का आज भी कब्जा मौजूद है प्रतिवादी भू–माफियाओं को सांकेतिक कब्जा खते के बाहर से जमीन दिखाकर दे चुका हैं प्रतिवादी का कोई कब्जा अब विवादित भूमि पर नहीं है। काउन्टर क्लेम का मद नं0 7 कतई गलत है स्वीकार नही है तथा कथित दिनांक को प्रति0 द्वारा धमकी देने पर ही यह

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.22 14:4
Reason: SelfAttested

दावा पेश करना आवश्यक हुआ था। काउन्टर क्लेम मा विशेष विवरण का मद नं0 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है सम्पूर्ण जवाबदेही मद नं0 1 में उधर की जा चुकी है पुनः रिपिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है जमाबंदी राजस्व रिकार्ड पक्षकारान के नाम से दावा सही किया गया हैं। काउन्टर क्लेम का विशेष विवरण का मद नं0 3,4,5 गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण को ठाकुरजी की भूमि होने बावत कोई जान कारी नहीं है ना पूर्व में थी ओमप्रकाश प्रतिवादी स्वयं ने हमले कहा था कि 8 बीघा 2 विस्वा भूमि अपनी ओर मेरी संयुक्त खातेदारी की है जिसमें 1/3 हिस्सा मेरे पिता का व 2/3 प्रतिवादी के पिता का होना पूर्व दावा दयालसिंह पर करते समय बताया था जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर अब वह जमीन खुर्द वुर्द करने पर यह दावा सही तथ्यों पर पेश किया गया है। प्रतिवादी नं0 1 का हित मंदिर के विपरित है इसलिये उसे पुजारी बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं हैं। अंत में काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 7672, 7673, 7675, 7676, 7813 कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा है। वादीगण अपने 2/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

2. आया विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण अपने 2/3 हिस्सा का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

3. आया विवादित आराजीयात के वादीगण 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

–[illegible]

4. आया विवादित आराजीयात मंदिर ठाकुरजी [illegible] करौली को बिना पक्षकार बनाये दावा वादीगण [illegible]

–प्रतिवादीगण

5. आया विवादित आराजीयात मंदिर ठाकुरजी लक्ष्मण जी विराजमान चटीकना करौली के खातेदारी व कब्जे की है। प्रतिवादीगण मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

6. आया विवादित आराजीयात मंदिर ठाकुरजी लक्ष्मणजी विराजमान चटीकना करौली के खातेदारी व कब्जे की है। प्रतिवादीगण वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

–प्रतिवादीगण

7. अनुतोषः–

विवाद्यक वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी सरेश चंद पीडब्ल्यू–1, पुष्पेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–2, गोविन्द सिंह पीडब्ल्यू–3 के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–2 एवं जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–3 एवं जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–4 एवं सिविल दावा की नकल प्रदर्श–5 व न्यायालय हाजा का दावा ओमप्रकाश बनाम दयालसिंह के दावे की नकल प्रदर्श–6 व ओमप्रकाश बनाम छगनलाल वाले की नकल प्रदर्श–7 पेश की है। साक्ष्य वादीगण समाप्त की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 ओमप्रकाश, डीडब्ल्यू–2 बाबुददीन के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में प्रदर्श–1 नकल अपील सुरेश बनाम सरकार प्रदर्श ए–1 व ऑडरशीट प्रदर्श ए–2, नकल नामांतकरण प्रदर्श ए–3, सेटलमेंट जमाबंदी प्रदश ए–4, सजरा प्रदश ए–5, मिलान क्षेत्रफल प्रदश ए–6, जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श ए–7, नकल रजिस्टर की नकल प्रदर्श ए–8, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श ए–9, देवस्थान का प्रमाण–पत्र प्रदर्श ए–10, रेफरेंस की नकल प्रदर्श ए–11, आवेदन कलक्टर प्रदश ए–12, रेफरेंस सरकार बनाम श्याम की नकल प्रदर्श ए–13 व ए–14, सिविल न्यायालय दावा की नकल प्रदर्श ए–15, बिजली का बिल प्रदर्श ए–16 पेश किये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी वादीगण का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात कस्बा करौली में स्थित है। उक्त आराजी में वादी नं.1 ता 4 व 8 ता 10 के पितामहगण व वादी नं. 6 ता 7 के पितागण एवं वादी नं.5 व 12 के ससुर मन्नू व बल्ला पुत्रान गोपी व प्रति.नं. 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण नं. 1 ता 5 का 1/12 वादी नं.6 का 1/12 वादी नं. 7 का 1/12 एवं वादी नं. 8 दका 1/8 वादी नं. 9 ता 12 का 1/8 हिस्सा है। एवं प्रतिवादी नं.1 का 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं.1 उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। वादीगण के पितामह मन्नू व बल्ला पुत्रान गोपी व वादी नं. 1 ता 5 के पिता व पति रामस्वरूप व वादी नं. 9 ता 12 के पिता व पति रामस्वरू व वादी नं.9 ता 12 के पिता व पति भागीरथ का स्वर्गवास हो चुका हैं। वादीगण मुतकगण के

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:47:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वैध वारिसान है। सबूतन नकल जमाबंदी सं. 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। सजरा वादीगण व प्रति.नं. 1 मद नंबर 2 में दर्ज किया है। विवादित आराजीयात वादीगण के पितामह व पितागण व ससुर मन्नू, बल्ला, गोपी व पितागण रामस्वरूप, भागीरथ व वादी के 2/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का हैं। वादीगण मृतक मन्नू बल्ला पुत्रान गोपी व मृतक रामस्वरूप व भागीरथ के वैध वारिसान है और मृतकगण के जीवनकाल से बतौर वारिस आराजीयात पर काबिज काश्त संयुक्त रूप से बतौर खातेदार वादीगण मृतक मन्नू व बल्ला के स्थान पर अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 20/2/18 को प्रतिवादी नं.1 से वादीगण के 2/3 हिस्सा भूमि का बटवारा राजस्व रिकार्ड में करा कर वादीगण के हक में अलग से खातेदारी इन्द्राज व लगान सेपरेट कराने को कहा तो प्रतिवादी नं. 1 साफ इंकार हो गया और विवादित भूमि को बिना बटवारा किये दीगर व्यक्तिमयों को विक्रय करने व भूमि में निर्माण करने की ऐलानिया कहा व धमकी दी है। तब वादीगण ने दावा पेश किया है। प्रतिवादी नं. 1 ताकतवर पैसे वाला चालाक किस्म का व्यक्ति है। और भूमाफिया से मिलाहुआ है और विवादित भूमि को बिना बटवारा कराये दीगर व्यक्तियो को रहन वय करने एवं भूमि को बिना बटवारा कराये दीगर व्यक्तियो को रहन वय करने एवं भूमि में अैध निर्माण करने कराने पर तुला हुआ है और दिनांक 21/2/18 से लोगो से विक्रय की बातचीत प्रारम्भ कर दी है। और लोगों को भूमि को विक्रय के लिये दिखाने लग गया है। प्रतिवादी नं.1 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है। यदि प्रतिवादी नं.1 ने अपने 1/3 हिस्सा भूमि को बिना वादीगण के 2/3 हिस्सा का बटवारा किये बिना दीगर व्यक्तियो को विकय कर दिया तो अजनवी केतागण से वादीगण का संयुक्त काश्त करना उचित फसल लाभ प्राप्त करना सम्भव नही रहेगा व संयुक्त काश्त में व्यवधान पैदा होगा जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का कथन किया है।

वकील प्रतिवादीगण नंबर 1 का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात खं0नं0 7672, 7673, 7675, 7676, 7813 कुल रकवा 8 विस्वा स्थित कस्वा करौली ठाकुर जी लक्ष्मण जी महारा[illegible] काश्त की भूमि है इसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के कोई अधिकार व्य[illegible]त किसी प्रकार के नहीं हैं व ठाकुरजी की भूमि में वादी[illegible] बटवारा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। एवं इस दा[illegible] विराजमान चटीकना करौली को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार इस में नॉन जोईन्डर ऑफ द पार्टीज का नुख्श है इस आधार पर दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को विवादित आराजीयात ठाकुर जी की होना दावा दायरी से पूर्व से ही जानकारी में है एव वादीगण जानबूझ करके इस तथ्य को छिपाकर आये हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:47:51
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

क्लीन हैण्ड नहीं आये हैं एवं ठाकुरजी की सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति बनाने की गरज से यह झूठा दावा लाये हैं ठाकुर जी के हितों के विरूद्व कार्य कर रहे हैं न्यायालय के हितों के विरूद्व कार्य कर हरे हैं न्यायालय से कोई अनुतोष व डिसकिऐशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं एवं उक्त भूमि ठाकुरजी लक्ष्मण जी की खातेदारी की है व राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो जाने के कारण वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं राजस्व रिकार्ड से वादीगण व प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राज हो जाने के कारण राजस्व रिकार्ड से इनके इन्द्राज हटाये जाकर मंदिर ठाकुरजी लक्ष्मण जी के नाम इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी हूं व गलत इन्द्राज के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक व कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। एवं उपरोक्त वादीगण व प्रतिवादी के हक में जमाबंदी में जो एन्ट्री है वह शून्य प्रभावी है। और उसे शून्य प्रभावी घोषित कराकर जमाबदी में ठाकुरजी के नाम अंकन दर्ज किया जावे। व वर्तमान रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। वादीगण के द्वारा दावे के अन्दर ठाकुरजी की सम्पत्ति को हडपने व निजी बनाने के उद्वेश्य से झूठा बादकारण दर्ज किया गया व उक्त सम्पत्ति ठाकुरजी की होने के तथ्य को छुपाते हुये मैलाफाइड इंटेशन के साथ गलत तथ्यों पर यह दावा लेकर आये है जो खारिज होने योग्य है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 1 डिक्री किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी नंबर 2 का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं0 7672 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा, खसरा नं0 7673 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, खसरा नंबर 7675 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा व खसरा नं0 7676 रकवा 10 बिस्वा, खसरा नं0 7813 रकवा 14 विस्वा कुल क्षेत्रफल 8 बीघा 9 विस्वा कस्बा करौली में स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 की खातेदारी की होना गलत दर्ज किया है व इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के कोई निजी अधिकार नहीं है और इनके पूर्वजों के भी कोई अधिकार नहीं है। यह भूमि वादीगण के पूर्वजों की कभी नहीं रही। वादीगण के पिता के हक में जो जमाबंदी है वह सहवन से गलत बन गई है। यह भूमि सेटलमेंट के बाद भी संवत 2032 में छलपूर्वक इनके पूर्वजों ने मंदिर की खातेदारी की भूमि अपने नाम करा ली जिसके बावत मेरे द्वारा धारा 82, राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेफेन्स बनाकर के उक्त भूमि को ठाकुरजी श्रीलक्ष्मणजी महाराज की खुदकाश्त मुताबिक रिकॉर्ड मानते हुए श्री[illegible] जिला कलेक्टर करौली के न्यायालय में रेफेन्स दिनांक [illegible] को [illegible] कर दिया है जिसके साथ रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां भी लगाई [illegible] लंबित हैं। इस प्रकार यह भूमि मंदिर ठाकुरज जी लक्ष्मण की खातेदारी की है वादीगण के इस भूमि में कोई अधिकार नहीं है एवं वादीगणों के पूर्वजों के भी इस भूमि में कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगण ने अपने परिवार का सजरा पेश किया है जो इस दावे में विवाद बिन्दू से कोई संबंध नहीं हैं। ठाकुर जी के कोई वारिस नहीं होते हैं एवं ठाकुरजी की भूमि से इनके पूर्वजों के सजरे का कोई औचित्य नहीं हैं। यह सजरा केवल न्यायालय को मिस गाइड

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem F
Date: 2026.04.22 14:47:5
Reason: SelfAttested

करने के दुर्भावनापूर्वक उददेश्य से पेश किया है। विवादित आराजीयात वादीगण के परिवार की नहीं हैं। ठाकुरजी की है, ऐसी स्थिति में एक रॉग एन्ट्री के आधार पर वादीगण कोई खातेदारी अधिकार घोषित करने के अधिकारी नहीं हैं। उपरोक्त भूमि माफी मंदिर की होने के कारण बंटवारा योग्य नहीं है। इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं01 को बंटवारा करने का काई अधिकार नहीं है ना ही विक्रय करने का कोई अधिकार है। दावे में विवादित आराजीयात खसरा नं0 7672, 7673, 7675, 7676, 7813 कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा स्थित पटवार हल्का 10 करौली माफी मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मण जी महाराज की खातेदारी की खुद काश्त भूमि है एवं इस भूमि में वादीगण व इनके पूर्वजों के कोई अधिकार नहीं है। नामान्तकरण सं0 3030 दिनांक 21.12.2010 को निरस्तकर दिया गया और वादीगण की विरासत नहीं खोली गई क्योंकि वादीगण ठाकुरजी के वारिस नहीं है एवं उक्त भूमि को ठाकुरजी की खातेदारी में दर्ज करने के लिए व रिकार्ड से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पिताओं के नाम हटाये जाकर ठाकुरजी के नाम दर्ज करने बावत कार्यवाही लंबित है एवं श्रीमानजी को भी ठाकुरजी महाराज श्री लक्ष्मण जी के नाम खातेदारी घोषित करते हुए ठाकुर जी के हक में इन्द्राज दुरूस्त करने के अधिकार है। अंत में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवचेन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत 2072 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–2 एवं जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–3 एवं जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–4 एवं सिविल दावा की नकल प्रदर्श–5 व न्यायालय हाजा का दावा ओमप्रकाश बनाम दयालसिंह के दावे की नकल प्रदर्श–6 व ओमप्रकाश बनाम छगनलाल वाले की नकल प्रदर्श–7 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी सुरेश व गवाह गोविन्द सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह के बयान लेखबद्व कराये है। जिसमें भूमि अपने पूर्वजों की होना और वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे [illegible] है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जमाबंदी संवत 2010–13 [illegible] ए–9 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–6 पेश की है। जिनमें भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी की खातेदारी की होना वादी[illegible] प्रतिवादी [illegible] की पूर्वज अहतमाम होना दर्ज है। इस प्रकार भूमि वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्वजों की खातेदारी की नहीं होकर माफी मंदिर श्री लक्ष्मणजी की खातेदारी की है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 को निजी तौर पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण 2/3 हिस्से की अपने हक में मंदिर भूमि होने से खातेदारी घोषणा कराने के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श ए–9 के अनुसार हकदार नहीं है। पुजारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:47:51
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

को या अहतमाम को माफी मंदिर भूमि में कोई खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं होते है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। विवाद्यक 1 के विवेचन से जब वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि है ही नही तब वादीगण 2/3 हिस्से के एवं प्रतिवादी नंबर 1 के 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने के हकदार नहीं है। भूमि माफी मंदिर श्री लक्ष्मणजी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्वजों के हक में वादग्रस्त भूमि हुए खातेदारी इन्द्राज बिला आधार है अवैध है। वादीगण भूमि का कोई बंटवारा कराने के हकदार नहीं है। विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। बल्कि भूमि मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मणजी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधिवत खातेदार नहीं होने से प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श ए–9 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–6 पेश किया है। जिसमें भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी की खातेदारी में दर्ज है। जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिन्हें वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। यह तथ्य पत्रावली पर वादीगण का स्वीकृत है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श ए–9 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–6 पेश किया है। जिसमें भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी की खातेदारी की है और इस संबंध में धारा 82 एल आर का रेफरेंस भी न्यायालय जिला कलक्टर करौली में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है। एवं जमाबंदी संवत 2015 में भी भूमि माफी श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी के खुदकाश्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका कोई खण्डन वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है और वादीगण द्वारा संवत 2010–13 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड अपने पूर्वजों की खातेदारी की होना प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से भूमि ठाकुरजी लक्ष्मणजी की खुदकाश्त खातेदारी की होना प्रमाणित है। वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्वजों के हक में संवत 2034 में वादग्रस्त भूमि के अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज हुए वह अनाधिकार अवैध है। जो हटाये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:47:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

योग्य है और भूमि पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 5 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि मंदिर ठाकुरजी श्री लक्ष्मणजी की खातेदारी होना प्रदर्श ए–4 जमाबंदी संवत 2015 एवं प्रदर्श ए–9 जमाबंदी संवत 2010–13 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–6 संवत 2015 से साबित है। वादी मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी भूमि खातेदार काश्तकार है और वादीगण प्रतिवादी नंबर 1 को भूमि को रहन वय नहीं करने व खुर्द–बुर्द नहीं करने को पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 के विवेचन से वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। वादीगण भूमि में कोई बंटवारा कराने के हकदार नहीं है और भूमि में किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा कराने के एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार नहीं है। भूमि मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी की खातेदारी व खुदकाश्त कब्जे की है। मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा किया जाना एवं वादीगण व प्रतिवादीगण को भूमि को रहन वय नहीं करने को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। दावा वादीगण मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी को दावे में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण भी मिस जॉइण्डर ऑफ पार्टी होने से भी चलने योग्य नहीं है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 1 डिक्री किया जाता है। मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी विराजमान कस्बा करौली को आराजी खसरा नंबर 7672, 7673, 7675, 7676, 7813, कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मन्नू, बल्ला पि. गोपी व ओमप्रकाश पुत्र श्यामा जाति ब्राहम्ण सा. देह का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि को रहन वय नहीं करने व खुर्द–बुर्द नहीं करें। प्रतिवादी नंबर 2 इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मंदिर श्री ठाकुरजी लक्ष्मणजी के नाम खातेदारी इन्द्राज अमल करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/20 को खुले न्यायालय में दिया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:47:
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।